

मानव अधिकार और सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. जयसिंह यादव,

आकाशवाणी के सामने, राटीपुर गाँव,
गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.), भारत-474002

अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मानव अधिकार का तात्पर्य जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं व्यक्ति की गरिमा के अधिकार से हैं जिसकी सुरक्षा की गांरटी भारतीय संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा-पत्र देता है। 'अन्तर्राष्ट्रीय प्रलेख' का मतलब 16 दिसम्बर 1966 के घोषणा-पत्र से है जो नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रतिज्ञा-पत्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों के विषय में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने स्वीकार किया था।

अध्ययन विषय की अवधारणात्मक व्याख्या

विभिन्न राजनीतिक विद्वानों का यह मत है कि अधिकार व्यक्ति पर राज्य द्वारा किया गया कोई उपकार नहीं है बल्कि वर्तमान में मनुष्य जिन अधिकारों का उपभोग कर रहा है उनमें से अधिकांश अधिकार उसे जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनका उपभोग मानव अपनी सभ्यता के ऊषाकाल से ही रीतियों, परम्पराओं व अन्य किन्हीं रूपों में करता आया है। जैसे कि जीने, पोषण एवं सुरक्षा प्राप्त करने, विचरण करने, वाणी को अभिव्यक्त करने, प्राकृतिक उपहारों का उपभोग करना इत्यादि। राज्य व समाज ने तो इन अधिकारों को समय-समय पर मान्यता व सुरक्षा प्रदान कर इन्हें और अधिक परिष्कृत तथा व्यापक बनाया है प्रसिद्ध राजनीतिक उदारवादी विचारक जान लॉक का मत है कि 'मनुष्य को जीवन, स्वतंत्रता एवं सम्पत्ति के अधिकार प्रकृति

से प्राप्त हुए है, जिन्हें राज्य छीन नहीं सकता' इसी तरह सिसरों, बाल्टेयर, टामपसैन, ब्लेक स्टोन ने भी इस मत का समर्थन किया है कि मानव अधिकार प्रकृति प्रदत्त है।

सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग मानव अधिकारों के विकास के लिए जरूरी है। पेरिस सिद्धांत के अनुसार एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाया जाए। यह भी जरूरी है कि आयोग स्वयात्त, निष्पक्ष रहे, तभी वह अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन कर सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आयोग पूरी तरह से सरकार से स्वतंत्र है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कुछ न कुछ संबंध भारत सरकार से होना जरूरी है।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के मध्य सहयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन एक लम्बे विचार-विमर्श के बाद हुआ था। केन्द्रीय मंत्रियों एवं राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मध्य आपसी

विचार–विमर्श से ही किसी राष्ट्रीय या स्थानीय चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। राज्य मानव अधिकार आयोग के साथ संबंध बेहतर रहना चाहिए।

राज्य मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार न्यायालय एवं जिला समितियाँ

1993 अधिनियम में संघ शासित क्षेत्रों के लिए आयोग गठन करने का कोई विधिक उल्लेख नहीं है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित आयोग ही संघ शासित प्रदेश में कार्य करेगा।¹

राज्यों के स्तर पर मानव अधिकार आयोग के गठन होने से स्थानीय स्तर पर लोगों को फायदा होगा। शिकायतों को राज्य स्तर पर ही हल करने से भारत जैसे विशाल देश के लिए हितकर है क्योंकि ऐसा न होने से बहुत सारी अमानवीय घटनाओं का पता ही नहीं चल पाता तथा गरीब जनता की शिकायतें ही नहीं पहुँच पाती।²

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शाखा के रूप में अक्टूबर 1997 तक कई राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हो चुका है। ये राज्य मध्यप्रदेश पश्चिम-बंगाल, हिमाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर हैं।³

इन राज्यों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, केरल और संघ शासित क्षेत्र दमन एवं द्वीप, मानव अधिकार की शाखायें खोली गयी हैं।

अधिनियम की धारा 30 के अनुसार मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना आन्ध्रप्रदेश, असम, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में हो गयी है।

जिला समितियों का भी गठन हुआ है। जिला समिति का अध्यक्ष जिला सत्र न्यायाधीश होगा। समिति के अन्य सदस्य मुख्य न्यायिक

मजिस्ट्रेट, पुलिय अधीक्षक, मुख्य राजस्व अधिकारी होंगे। केरल सरकार ने इस मामले में अग्रिम कदम उठाए है। आन्ध्रप्रदेश, चण्डीगढ़, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में भी जिला समितियों का गठन हुआ है। अन्य राज्यों में भी विचार–विमर्श हो रहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विविध शाखाओं के प्रसार के कारण पूरे देश भर में एक तरह की संस्कृति का विकास हुआ है। यह संस्कृति मानव अधिकारों के संरक्षण एवं विकास से संबंधित है।

अंतर सरकारी संगठनों से सहयोग

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस बात को लेकर सदैव चिंतित रहा है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति का सहयोग प्राप्त किया जाए। इसलिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों ने 50 वीं, 51 वीं, 52वीं, वार्षिक—सत्र में भाग लिया था। यह सत्र संयुक्त राष्ट्र संघ के मानव अधिकारों के विषय में जेनेवा में आयोजित हुआ था।

मार्च 1996 में बीजिंग में हुए विश्व महिला सम्मेलन में भी आयोग के सदस्यों ने भाग लिया था।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने आयोग के एक सदस्य न्यायमूर्ति वी.एस. मलिमथ को नाइजीरिया की स्थिति को परखने के लिए समिति में नामांकित किया है। इस समिति को यह देखना है कि कैन सारावीवा की हत्या सैनिक शासकों ने किस आधार पर की।

अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग

भारत में कुछ ऐसी राष्ट्रीय संस्थाएँ हैं जो कि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं विकास की दिशा में काम रही है। अतएव इन संस्थाओं के साथ

सहयोग करना राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए जरूरी है।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कनाडा, आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से सम्पर्क स्थापित किया है।

विदेशी राजनीतिज्ञों, प्रतिनिधि—मण्डलों से संपर्क स्थापित करना

मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता आज विश्व स्तर पर देखी जा सकती है। आयोग इस बात के लिए कृत—कृत है कि भारत सदैव प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखता है। भारत सरकार ने हमेशा विश्व स्तर पर होने वाले हर ऐसी पहल का स्वागत किया है जिनसे मानव अधिकारों के विकास में मदद मिलती है। आयोग ने इसीलिए उन विदेशी राजनीतिज्ञों एवं प्रतिनिधि—मण्डलों से भेंट की है जो मानव अधिकारों को बढ़ावा देना चाहते हैं। इस संदर्भ में आयोग ब्रिटेन के संसदीय प्रतिनिधि—मण्डल, जर्मन संसदीय—प्रतिनिधि—मण्डल, संयुक्त राज्य अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधि, बेल्जियम के उदारवादी दल से मुलाकात की है।

बहुत अवसरों पर आयोग के सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भी हिस्सा लिया है। आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायामर्ति रंगनाथ मिश्र ने उत्तरी अमेरीका, ग्रेट ब्रिटेन तथा जेनेवा में स्थापित संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यालय गए।

आयोग के सचिव आर.पी. पिल्लई ने दक्षिण एशिया में मानव अधिकार समितियों का संघर्ष निराकरण करने में भूमिका विषय पर आयोजि संगोष्ठी में भाग लिया।

विदेशी गैर—सरकारी संगठनों से संपर्क

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग लगातार देश—विदेश के गैर सरकारी संगठनों के संपर्क में रहने का प्रयास करता रहा है। ऐशिया वॉच, एमेनस्टी इंटरनेशनल आदि इसी प्रकार की संस्थाएँ हैं जिनमें आयोग संपर्क स्थापित करता रहा है। इससे आयोग को एक कार्यगत अनुभव प्राप्त होता है।

भारतीय सरकारी संगठनों के मध्य सहयोग

आयोग इस बात पर ध्यान देता है कि उन सभी गैर—सरकारी संगठनों के साथ सहयोग बढ़ाया जाना चाहिये जो मानव अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं। यह आयोग का उत्तरदायित्व भी है।⁴

तीन प्रमुख क्षेत्रों में गैर—सरकारी संगठन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सहायता कर सकते हैं। पहला चंकि गैर—सरकारी संगठन स्थानीय स्तर पर कार्य करते हैं इसलिए गैर—सरकारी संगठन प्रभावी ढंग से मानव अधिकारों के उल्लंघन को पहचान सकते हैं।⁵

दूसरे गैर—सरकारी संगठनों का कार्यक्षेत्र ही जनता की समस्याओं के बारे में अध्ययन करना होता है। इसलिये ये शिकायतों की बहुत गंभीर ढंग से खोजबीन कर सकते हैं।

तीसरे, गैर—सरकारी संगठन मानव जीवन के बारे में विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। उनके शोधपरक कार्यों से आयोग को विशेष फायदा हो सकता है। भारत जैसे विस्तृत देश में जहाँ शिकायतें केन्द्रीय स्तर तक नहीं पहुँच पाती हैं वहाँ इस दिशा में गैर—सरकारी संगठन बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।⁶

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्यों की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि गैर—सरकारी संगठनों से सहयोग स्थापित न किए जाएं।

अधिनियम की धारा 12 (1) के अनुसार, मानव अधिकारों को संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

इसलिये आयोग समय-समय पर मानव अधिकार कार्यकर्ताओं एवं गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर उचित रास्ते की तलाश करते हैं। मानव गरिमा एवं अधिकारों का संरक्षण मनुष्य की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान करना है।

कुछ मामलों में गैर-सरकारी संगठन स्वयं अपने कार्यों को प्रभावी बनाने के लिये आयोग की सहायता लेते हैं। बालश्रम तथा बंधुआ मजदूरी के बारे में आयोग इस क्षेत्र में विशेषज्ञ गैर-सरकारी संगठनों से सहायता प्राप्त करता है। इस प्रकार विविध क्षेत्रों में आयोग एवं गैर-सरकारी संगठनों के बीच सहयोग चल रहा है जो जरूरी एवं उचित भी है।⁷

उपसंहार

राष्ट्रीय मानव अधिकार का देशी तथा विदेशी संगठनों प्रतिनिधि मण्डलों, एवं राष्ट्रों के मानव अधिकार आयोगों से सम्पर्क स्थापित करने के कारण इसकी प्रतिष्ठा एवं परिस्थिति दोनों में वृद्धि हुयी है। इस बात का सदैव ध्यान रखा जाना चाहिये कि मानव अधिकारों का विकास प्रत्येक मानव का कर्तव्य है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. चतुर्वेदी, बदरीनाथ “धर्म तथा जैनवाद : मानव अधिकार का वैशिवक”
2. डेविडसन, स्कॉट मानव अधिकार, फिलाडेलफिया ओपन यूनिवर्सिटी ,प्रेस 1993
3. दयाल, वीरेन्द्र “प्रिंसीपल डेवलमेन्ट एट दि इंटरनेशनल लेवल रिलेटिंग टू नेशनल ह्यूमन राइट्स
4. दास सुप्ता, अर्जुन देव, मानव अधिकार : एक स्रोत पुस्तक, NCERT इंदिरा अर्जुदेव 1996, विषय प्रवेश भाग पब्लिकेशन
5. गौतम ओ.पी. ह्यूमन राइट्स इन इण्डिया’, एन आरिटकल इनटुवार्ड राइट्स फ्रेमवर्क, प्रेजर पब्लिकेशन, न्यूयार्क, 1982
6. हेन्किल, एल. दि राइट्स ऑफ मैनटुडे, बेस्ट व्यू प्रेस कोलारेडा, U.S.A. 1978
7. जोहरी, जे.सी. ह्यूमन राइट्स न्यू वर्ल्ड आर्डर टुर्केस परेक्शन ऑफ दि डेमोक्रेटिक वे ऑफ, अनमोल पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1996